मैसर्स एन0बी0मिनरलर्स कारपोरेशनग्राम डूण्डु पट्टी छड़नदेव,
तहसील कनालीछीना, जिला पिथौरागढ़ की संयुक्त निरीक्षण आख्या ।

मा0 हरित अधिकरण द्वारा वाद संख्या 995/2019 में पारित आदेश दिनांक 18–10–2019 के अनुपालन में दिनांक 26–11–2019 को निम्न गठित समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। समिति के सदस्य निम्नवत हैं।

1– श्री के0एन0गोस्वामी, उप जिलाधिकारी, डीडीहाट।
2– श्री डी0पी0 शर्मा, सहायक खान नियंत्रक,भारतीय खान ब्यूरो देहरादून।
3– डा0 पी0एस0 विष्ट,सदस्य राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण, देहरादून। SEIAA
4– डा0 आर0के0 चतुर्वेदी,क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हल्द्वानी।
5– श्री नरेश गोस्वामी, सहायक पर्यावरण अभियन्ता,राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हल्द्वानी।

(1) उपरोक्त सन्दर्भित खान को जिलाधिकारी महोदय पिथौरागढ़ केपत्रसंख्या–883/तीस–खनन/2018–19 दिनांक 2–4–2019 द्वारा खनिज मैगनेसाइट खनन पट्टे हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा खनिज मैगनेसाइट की पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त होने तक खनन कार्य स्थगित रखे जाने के निर्देश दिये गये थे।

जिसके अनुपालन में मै0एन0बी0मिनरलर्स का0 द्वारा अपने पत्र संख्या एन0बी0एम0सी0/2018 19/739 दिनांक 3–4–2019 द्वारा खनन कार्य बन्द करने की सूचना दी गयी।

उपरोक्त पत्र से स्पष्ट है कि खनन कार्य स्थायी रूप से बन्द न होकर अस्थायी रूप से बन्द करने के निर्देश दिये गये।

(2) इसी कम में उक्त इकाई को राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण, से उनके पत्र संख्या 4801(76)/2019 दिनांक 9–10–19 द्वारा मैगनेसाईट खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गयी है। इसके उपरान्त इकाई द्वारा जिलाधिकारी महोदय पिथौरागढ़ को खनन कार्य प्रारम्भ किये जाने का अनुरोध किया गया । जो कि निदेशालय/शासन स्तर पर विचाराधीन है। इसी कम में मा0 हरित अधिकरण में उपरोक्त दायर वाद के कम में संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि बर्तमान में खनन कार्य बन्द है। खनन से निर्गत मलवे का इकाई द्वारा लीज ऐरिया के अन्दर ही निस्तारण किया गया है। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि खनन से निकला हुआ मलवा पानी के बहाव के साथ लीज ऐरिया के बाहर तक उत्तर पूर्व की दिशा में पहुंच गया है। जिसका आंकलन राजस्व निरीक्षक द्वारा कर लिया गया है जिसके अनुसार प्रभावित क्षेत्रफल 0.220 हे0 (11नाली) है जो कि काश्तकारों की नाप भूमि दर्शायी गयी है।

तथापि इकाई द्वारा इसके मलवे के बहाव के बचाव हेतु सुरक्षा दिवारों की स्थापना भी की गयी है। प्रकरण में जांच उपरान्त पाया गया कि उक्त मलवा लीज ऐरिया के पानी के बहाव के साथ–साथ लीज ऐरिया के बाहर से आये हुये बहाव के साथ बहा है। लीज ऐरिया से बाहर लोक निर्माण विभाग की सड़क का जल बहाव भी उचित निकासी ब्यवस्था न होने के कारण लीज ऐरिया के अन्दर से बहते हुए ढलान की ओर मलवे को ले गया। इस सम्बन्ध में खनन कार्य बन्द होने के कारण इकाई द्वारा किसी भी प्रकार का सुरक्षात्मक कदम नहीं उठाये जा सके इस सम्बन्ध में लीज होल्डर द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा उक्त सुरक्षात्मक कार्य हेतु प्रशासनिक अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु पत्र जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित किया गया था। लेकिन कार्य स्थगन के आदेश पूर्व में ही सक्षम स्तर से जारी किये जा चुके थे।

उक्त खनन कार्य को स्थायी रूप से बन्द करने के आदेश जारी नहीं किये गये थे यद्यपि जिलाधिकारी महोदय द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने तक खनन कार्य स्थगन के आदेश जारी किये गये थे। इकाई को इस प्रकार के कार्य स्थगन हेतु कोई आपतकालीन दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये थे। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में स्थायी खनन कार्य बन्दी की स्थिति न होने के कारण इकाई द्वारा बैज्ञानिक रूप से खनन बन्दी प्रकिया नहीं की गयी है।

(नरेश गोस्वामी) सहायक पर्यावरण अभियन्ता,राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	(डी0पी0 शर्मा) सहायक खान नियंत्रक	(डा0 पी0एस0 विष्ट) सदस्य राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण	(डा0 आर0के0 चतुर्वेदी) क्षेत्रीय अधिकारीराज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हल्द्वानी	(के0एन0गोस्वामी) उप जिलाधिकारी डीडीहाट।

Scanned by CamScanner